141

के ग्रादेश में निर्देश दिया था कि ग्रावे-दकों को वरीयता पुनः निधारित की जाए। ब्रावेदकों में श्री एच. ब्रार, यादव भी शामिल थे। उच्चतम न्याबालय ने श्रपने 28 मार्च, 1989 के निर्णय के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उक्त ग्रादेश का ग्रनुमोदन कर दिया था। उक्त ग्रादेश को कार्यान्वित कर दिया गया

रोजगार में कथित वृद्धि

2205. श्री राम जेउमलानी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने को धूपा करेंगे

- (क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मई, 1990 के "हिन्दुस्तान टाम्इस" समाचार में "रोजगार में 4.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि, पीएचडी सी सी ग्राई" शीर्षक से प्रकाशित, उस समाचार को ग्रीर दिलाया गया है, जिसमें गरीबी उन्मुलन के उपाए बताए गए हैं;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिकिया क्या है; और
- (ग) उनत भुझाव के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की भावी योजनाओं का व्यौराक्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री ग्रौर कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (ग) यह समाचार, "रोजगार सूजन के लिए कार्यनीति: कुछ मुद्" नामक अध्ययन के सिंदर्भ में है, जो भ्रप्रैल, 1990 में पो एचडी सो सी बाई द्वारा किया गया। ग्रध्ययन में ग्रनुमान लगाया गया है कि यदि ग्राठवीं योजना के दौरान सभी बैरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाना है तो रोजगार सुजन को 4.3 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ाना होगा , इसमें यह भी बताया गया है कि ब्राठवीं योजना ग्रवधि में बेरोजगारी की समस्या उन्मलन किया जा सकता है यह बात सोचना विवकपूर्ण नहीं होगा, लेकिन

यह कि इस उद्देश्य के लिए दीर्घाविधक कार्यं नीति तैयार करना वांछनीय होगा। इस ब्रध्ययन में दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव हैं-जनसंख्या संयुद्धि, निरक्षता ग्रीर खराब स्वास्य्य में कमी करने; व्यावसायिक प्रशिक्षण अवसरों को बढ़ाने, आवश्यकताओं के अनुरूप जनशक्ति भाषोजना सीर जन-शक्ति विकास, ग्रायोजना के विकेर्न्द्राकरण. स्वरोजगार पर अभिकेन्द्रण, स्थानीय, संसाधनों के अधिकतम उपयोग, भूमि विकास, कृषि और उद्योगों तथा ग्रामीण व शहरी केन्द्रों के बीच बेहतर सम्पर्कों का विकास; प्रशिक्षण, वित्त व्यवस्था, ग्राधार संरचना तक अभिगम इत्यादि के प्रावधान के माध्यम से असंगठित क्षेत्र का संवर्द्धन ग्रीर संगठित क्षेत्र विशेष कर निजी, संगठित क्षत्र की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के उपाय जैसे निवेश की स्थिति स्धारने के लिए मांग, पूर्ति, ब्राधार संरचना इत्यादि बाधाग्रीं का निराकरण निवेश की स्थिति सुधारने के लिए, श्रीद्योगिक रुग्णता से निपटना, श्रीद्यौगिक संबंधों के परिदृश्य का भुधार, सहायक उद्योगीकरण, निजी निर्माण त्रियाकलापों ग्रीर तृतीयक क्षेत्र का संवर्दन करने के कदम उठाए जाने चाहिए।

to Questions

ग्राठवीं पंचवर्षीय योजनायें तैयार करते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कार्य योजना का कार्यान्वयन

2206. सरदार जगजीत सिंह ग्ररोड़ा: क्या प्रधान मंत्री यह दताने की हुपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस कलेंडर वर्ष के मुरू में देश के ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक कार्य योजना के कार्यान्वियन की घोषणा को थी;
- (ख) यदि हां, तो क्या कथित कार्य योजना के कार्यान्वयन का काम शुरू हो गया है; और

143

(ग) यदि हाँ, इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

मंत्री (श्री मार्गेय गोवर्धन): (क्र) श्रीर (ख) जी हां। तथापि, कार्य योजना में देश के पर्वताय क्षेत्रों से संबंधित कोई विशिष्ट मद नहीं है।

योजना मंता य में राज्य मंत्री ग्रौर कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य (ग) ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित कार्य यो ना की संगत मदों की वर्तमान स्थिति विवरण में दो गई है (नाचे देखिए)।

पहले ही प्रस्तृत किया जा चका है।

विवरण वर्तमान स्थिति क्रम मद का सारांग कृषि/ब्रामीण क्षेत्र में 50 प्रतिगत परिव्यय गहरी और प्रामीण सैस्टरों के बीच अनुभाजन की विधि तैयार और सभी मंतालयों परिचालित में की जा चुकी है। राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांत भी भेजे जा चुके हैं। केन्द्रीय योजना 1990-91 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बजट, सहायता बढ़ायी गई है। 2. कृषक को लाभदावक कीमतें विपणन वर्ष 1990-91 के लिए रवी फसल के ग्रधि प्राप्ति/न्यूनतम सहायता कीमतों को स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों के परिप्रेक्ष में बढ़ाया गया है । खरीफ फसल के लिए कृषि लागत तथा कीमत से संबंधित आयोग की सिफारिशों विचारा-धीन हैं। 3. काम का अधिकार/रोजगार गारन्टी . काम के श्रधिकार से संबंधित संबैधानिक संशो-धन का प्रारूप और रोजगार गारन्टी स्कीम से संबंधित बिल का प्रारूप तैयार कियाजाचका है। पंचायती राज से संबंधित बिल माडल बिल का प्रारूप और संवैधानिक संशोधन बिल, मंत्रिमंडल द्वारा धन् मोदित किए जा चुके हैं। इन पर शीघ हो श्रायोजित होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। 5. (क) संविधान की नौंवी अनुसूची में संविधान की नौंबीं अनुसूची में 55 भूमि भूमि सुधार कानुनों को शामिल कानुनों को शामिल करने के उद्देश्य से किया जाना लोक सभा में संविधान (66वां संशोधन) विल, 1990 नामक संवैधानिक संगोधन विल

मद का साराश

Wiitien Answers

वर्तमान स्थिति

to Questions

- (ख) सूमि सुधार कार्यान्वयन के कार्य-कमों को स्रांतिम रूप देने के लिए म्ख्य मंत्रियों की बैठक
- इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए कार्यसूची नोट सभी राज्यों के मुख्य सचिवालयों को मेजे जा चुके हैं। इस नोट पर मुख्य मंत्रियों की विशेष बैठक में बिचार किया जाएगा, बैठक का ग्रायोजन 11-6-1990 के लिए संभावित है।
- (ग) भू-राजस्व प्रशासन के राष्ट्रीय श्रायोग का गठन
- क्योंकि मंत्रिगंडल ने प्रस्ताव का ग्रनमोदन कर दिया है, आयोग के गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की जा चकी है।
- 6. 10 हजार स्पए तक ऋण राइत
- निर्गय लिया और घोषित किया गया।
- 7. कृषि उत्पाद/खाद्यान्नों के लिए गोदाम का मास्टर प्लान
- राज्यों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात-मास्टर प्लान के लिए दुष्टिकोण पत्न तैयार किया जा चुका है। राज्यों का मास्टर प्लान तैयार हो जाने के पश्चात श्रखिल भारतीय मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा ।
- ग्रामीण समाज पर जोर देने के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

नए कार्यक्रमों का अनुमोदन दिया जा चुका है

राज्यों द्वारा पंडु काटने की ग्रनुमति

2207. सरवार जगजीत सिंह ग्ररोड़ा: क्या पर्यावरण और वन मंत्री 26 दिसम्बर, 1989 को राज्य सभा में ग्रतारांकित प्रश्न सं 151 के दिए गए उत्तर को देखेंगे ग्रीर यह बताने की जुपा करेंगे कि:

- (क) क्या 7 दिसम्बर, 1988 को घोषित राष्ट्रीय वन नाति के अधीन पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;
- (ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारों ने अपने-अपने पेड संरक्षण अधिनियमों में संशोधन करके पेड़ काटने की अनुमति दे दी है; और
- (ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है और क्या सरकार देश में पेड़ों को बचाने के लिए कुछ ठोस तथा प्रभावशाली कदम उठाने का विचार रखती

है ताकि पेड़ों को काटने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जा सके?

पर्यावरण ग्रीर वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) नई र ब्होय वन न.ति, 1988 में यह व्यवस्था है कि उष्णकटिवंधी,य वर्षा/नर्म. वाले वनों, विशेषकर ग्ररणाचल प्रदेश, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह जैसे इलाकों के वनों की पूरी सुरक्षा की जानी चाहिए। इस नीति में यह भी कहा गया है कि वन कार्यंक्रमों में पर्याप्त रूप से तैयार किए गए प्राधितक वनीं की स्पष्ट कटाई नहीं की जानी चाहिए।

(ख) ग्रीर (ग) राज्य सरकारों के अपने वृक्ष सुरक्षा अधिनियम हैं जिन्हें उन्होंने अपनी ब्रावश्यकतानुसार तैयार किया है। निजी भूमियों पर वृक्षों की कटाई को राज्य सरकार के उनत श्रध-